उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती–2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु प्रकिया तथा परीक्षा की सम्भावित तिथि का प्रकाशन।

संख्या–पीआरपीबी–एक–3(39)/2023 पार्ट–4 (विज्ञप्ति) दिनांक–जनवरी 01,2024

अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि इन पदों के लिये लिखित परीक्षा की सम्भावित तिथि 29.01.2024 से 10.02.2024 तक की है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों मे विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी, सम्बन्धित अभ्यर्थियो को उसकी परीक्षा तिथि, परीक्षा केन्द्र तथा शहर के सम्बन्ध मे प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी।

ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु प्रकिया

जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये गये हैं, उनके वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नलिखित विषयों में कुल 160 प्रश्नों एवं 400 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2:30 घण्टा होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के इस प्रश्नपत्र की संरचना निम्नवत् होगीः–

विषय		प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
विषय–1	सामान्य हिन्दी	40	100	2.30 घण्टा (150 मिनट)
विषय–2	विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान	40	100	
विषय–3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	40	100	
विषय–4	मानसिक अभिरूचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा	40	100	
प्रत्येक प्रश्न–2.5 अंक		कुल प्रश्न 160	कुल अंक–400	2.30 घण्टा

ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत प्रसामान्यीकृत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिये पात्र नहीं होगें।

1. लिखित परीक्षा कम्प्यूटर आधारित (CBT) होगी।
2. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये जायेगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सर्वाधिक उपयुक्त समझें चुन ले। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तद्नुसार ऑनलाइन उत्तर भरें।
3. प्रत्येक सही उत्तर के लिये 2.5 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं प्रदान किये जायेगें।
4 सामान्य हिन्दी को छोड़कर सभी विषयों के सभी प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में होगें।
5. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जायेगी।

6. प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग–अलग होगें और अंकों के प्रासान्यीकरण (Normalization) की प्रकिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या–पीआरपीबी–एक–1(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनायी जायेगी।

7. बोर्ड प्रश्नपत्र के चार विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत (Normalization) अंकों को जोड़कर की जायेगी।

8. प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–2669/2009 (एम/बी) पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जायेगीः–

सूत्रः– $$\frac{\text{सही उत्तर} \times \text{उस भाग के निर्धारित अंक}}{\text{सही प्रश्नों की संख्या}}$$

9. अभ्यर्थियों की रिस्पान्सशीट उत्तर कुंजी के साथ संबंधित अभ्यर्थी हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर 03 दिवस के लिये प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

10. ऑनलाइन लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न एवं उत्तर विकल्पों में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दाखिल किये जाने हेतु रिस्पान्स शीट एवं उत्तर कुँजी के साथ Candidate Interface 03 दिवस के लिये उपलब्ध होगा, जिस पर आपत्तियाँ दर्ज करायी जायेंगी।

11. अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये अनुदेशों के अनुसार, जहाँ इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, पालन करें। यदि अभ्यर्थी उसका पालन करने में असफल रहें, तो रिस्पॉन्स शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।

12. कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अपनें स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में सम्मिलित कराने या किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देनें, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) कर दिया जायेगा तथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

13. छद्म प्रतिरूपण (Impersonation) करने या उसमें सहयोग देने वाले (अभ्यर्थी एवं उसके सहायक) के विरूद्ध अभ्यर्थन निरस्त करने, भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) करने की कार्यवाही तथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

14. बोर्ड द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या–पीआरपीबी–एक–3(34)/2020 दिनांकित 06.01.2022 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियाँ नहीं की जा सकेगीं।

15. यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

9/1/24

अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।